

8.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अफात न्याय आघड़े द्वार  
कैम्प ग्राम सिडियास मे पेश हुई प्रकरण मे पूर्व मे  
दिनांक 8.11.16 से जारी की गई अस्थायी निषेधका  
को मूल वाद के निस्तारण तक नई जाती है।

प्राठपत्र फैसल शुमार होकर मूल वाद पर कैसाय सलजंन  
किया जावे तथा दायर मम्बर से कम किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी  
माण्डल